अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

भागचंद वनाम अशोक वगैरह

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2014/00029 श्री P.S. नरूका श्री	
27/3/26	भागचंद वनाम अशोक वगैरह (2014/00029) यह अपील अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अपील आगे नहीं चलाये जाने बावत पेश किये जाने से आज तलब की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट तथा अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र बाबत निवेदन किया कि उभयपक्ष के बीच आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है तथा अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः प्रार्थीगण/अपीलांट उक्त अपील को पुनः रेस्टोर कराने का हक सुरक्षित रखते हुए उक्त अपील को विड्रो करने की अनुमति प्रदान कराने के आदेश प्रदान करावें। अपीलांट संख्या 3, 4, 6/1 से 6/3, 7/4, 7/5 स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये जिनकी पहचान उनके अभिभाषक श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका द्वारा की गई। अतः अपील अपीलांट आगे नही चलाये जाने के कारण अपील को पुनः रेस्टोर कराने का हक सुरक्षित रखते हुए उक्त अपील को जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	सन्तोषकुमार धनराज माली Identified appellant 27/3/2026

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी जी, अजमेर
अपील डिक्री टी0ए0 संख्या 351/2014 जिला अजमेर

2014/00029

1. भागचन्द पुत्र स्व0 आसू
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 आसू
3. गोपाल पुत्र स्व0 आसू
4. धन्ना पुत्र स्व0 आसू
5. बिदामी पत्नि स्व0 आसू
6. सुवालाल पुत्र स्व0 चन्दा — फौत 6/1- संतोष कुमार, 6/2- श्यामसुन्दर 6/3- सुनील कुमार 6/4- भाग्यश्री 6/5- सुनिता देवी पुत्रियाँ सुवालाल
7. पोकरमल उर्फ पुष्कर नारायण पुत्र स्व0 चन्दा

जाति माली, निवासी बांरोली (डेर) तहसील पुष्कर जिला अजमेर। (फौत)

-- अपीलांट्स

बनाम्

1. अशोक पुत्र स्व0 कन्हैयालाल
2. भंवरलाल पुत्र चन्द्रा (फौत)
3. दूदा पुत्र रामधन (मृतक) जरिये वारिसान :-
   - 3/1 सूरजमल पुत्र दूदा
   - 3/2 मोहनलाल पुत्र दूदा
   - 3/3 जगदीश पुत्र दूदा
   - 3/4 सत्यनारायण पुत्र दूदा (फौत)
4. केशा पुत्र रामधन (फौत)
5. मदन पुत्र रामधन
6. अम्बालाल पुत्र लालू (फौत)
7. लक्ष्मीचन्द पुत्र लालू (मृतक) जरिये वारिसान :-
   - 7/1 राजू पुत्र लक्ष्मीचन्द
8. रूपचन्द पुत्र लालू (फौत)
9. गुलाबी पत्नि लालू
10. जयराम पुत्र रुघा (मृतक) जरिये वारिसान :-
    - 10/1 मदनलाल पुत्र जयराम
    - 10/2 नोरतमल पुत्र जयराम

8.7.14

Scanned with CamScanner

10/3 सम्पतलाल पुत्र जयराम

11. रामेश्वरी पत्नि धन्ना पुत्री रूघा (फौत)

12. रामदेव पुत्र धन्ना पुत्र रूघा (फौत)

13. भंवरलाल उर्फ स्याना पुत्र जीवण पौत्र अमरा

14. मीठू उर्फ जागीरदार पुत्र जीवन पौत्र अमरा

15. छोटू पुत्र जीवन पौत्र अमरा

16. ओमप्रकाश पुत्र जीवन पौत्र अमरा

17. भंवरी पत्नि जीवन पुत्रवधु अमरा (फौत)

18. भगवान पुत्र अमरा (मृतक) जरिये वारिसान :-

18/1 रूपचंद पुत्र भगवान

18/2 नेमीचंद पुत्र भगवान

19. हंसराज पुत्र अमरा (फौत)

20. राऊ पुत्र अमरा (फौत)

जाति माली, निवासी बांसेली (डिर) तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी, पुष्कर।

-- रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर दिनांक 18.9.2003 जो कि वाद संख्या 29/2003 में पारित की गई।

मान्यवर,

अपीलांट्स का निम्न निवेदन है:-

इस अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 21 के विरूद्ध विद्वान सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर के न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी एक ही जाति खानदान से सम्बंधित हैं तथा पक्षकारान की ग्राम बांसेली में संयुक्त खातेदारी में अंकित भूमि

Scanned with CamScanner